6/14
19/2

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा

क्रमांक / एफसीए / उवस / 2020–21 / 947 दिनांक 16-2-2021

अधिशाषी अभियंता,
जन.स्वा. अभि.विभाग परियोजना खण्ड
माण्डलगढ जिला भीलवाडा।

विषयः— **Diversion of 2.0467 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department for balance work of cluster scheme of 315 villages of Mandalgarh, Bijoliya and Jahajpur Tehsils along with Augmentation of UWSS of mandalgarh and Bijoliya Towns from Aroli Head works under Chambal-Bhilwara water supply project phase-II package -VIII of District Bhilwara (Raj.) प्रपोजल सं. FP/RJ/WATER/36565/ 2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवाहयु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पं. 8बी / राज / 08 / 30 / 2020 / एफसी / 72 दिनांक 04.02.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा 2.0467 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 228 वृक्षों (26पोल्स, 202 वृक्ष) के पातन की सशर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक शर्तो की पूर्ण पालना हेतु आप निम्नानुसार राशि **केम्पाफण्ड खाता** में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा करा पालना स्वरूप ऑनलाईन ई–रसीद की छाया प्रति प्रेषित कर अवगत करावे, ताकि भारत सरकार को पालना रिपोर्ट भिजवायी जा सके। साथ ही सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण पालना प्रतिवेदन प्रेषित करावे।

1. शर्त सं. 3 की पूर्ण पालना हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 2.0467 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मॉडल अनुसार राशि 2.0467 है. X 173000 प्रति है. = 354079 / —रू. ई— पोर्टल के माध्यम से जमा करावे।
2. शर्त सं. 5 की पूर्ण पालना हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 2.0467 हैक्टर क्षेत्र में पक्के पिलर्स निर्माण हेतु दर 2170 रू प्रति पिलर्स से राशि 21700 / —रू. का डी.डी. इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
3. शर्त सं. 6 की पूर्ण पालना हेतु भीलवाडा वनमण्डल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 2.0467 हैक्टर हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इको क्लास III मे खुली क्षेत्री का वन मानते हुए रू. 626000 / — प्रति हैक्टर की दर से राशि रू. 2.0467 है. X 626000 प्रति है. = 1281234 / — रू. ई— पोर्टल के माध्यम से जमा करावे।
4. शर्त सं. 8 की पूर्ण पालना हेतु काटे जाने वाले 228 वृक्षों हेतु 342131 / —रू. का डी. डी. इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

साथ ही प्रासंगिक पत्र द्वारा अधिरोपित सैद्धान्तिक शर्तो की पूर्ण ठोस अनुपालना मय अण्डरटेंकिग सहित रिपोर्ट भिजवावे ताकि वन भूमि प्रत्यावर्तन संबंधी विधिवत स्वीकृति जारी करवाई जा सके।

भवदीय,

(डी.पी.जागावत)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

संलग्नः— पं. दि. 4.2.2021

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन.स्वा.अभि. विभाग परियोजना खण्ड माण्डलगढ़ जिला
पत्र प्राप्ति
क्रमांक 49
दिनांक 19/2/21